

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-3/निदे०(छात्रावास/संघा०) 66-15/2018 \68

प्रेषक,

संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी, मा०प्र०से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-08/10/2026

विषय-स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से नवादा जिला में अवस्थित डॉ० भीमराव अम्बेडकर
आवासीय विद्यालय, रजौली, नवादा में चहारदिवारी की ऊंचाई में वृद्धि, Concertina Coil
लगाव, रंग-रोगन एवं अन्य कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग का पत्रांक-3393(भ०)अनु०
दिनांक-09.04. 2026 द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि-₹42,10,100/- (बयालिस
लाख दस हजार एक सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश :-स्वीकृत।

2- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण
विभाग के भवन का अनुरक्षण और मरम्मत हेतु भवन निर्माण विभाग के मांग सं०-03 मुख्य बजट
शीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- उपमुख्यशीर्ष-60- अन्य भवन-लघु शीर्ष
053-रखरखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0014-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण
विभाग के भवन का अनुरक्षण और मरम्मत हेतु विषय शीर्ष-2702-अनुरक्षण एवं मरम्मत विपत्र
कोड-03-2059600530014 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561
दिनांक 17-4-1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के
निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

4- स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग,
पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

5- इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की
आवश्यकता नहीं होगी।

6- मरम्मत कार्य भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन तथा
निर्धारित मापदण्ड, अनुज्ञेय सीमा एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्माण करा लिया जायेगा।
साथ ही कार्य के प्रत्येक चरण पर विभिन्न कोणों से फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराना सुनिश्चित
करेंगे।

7- इस योजना के लिये नियंत्री पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे
समय-समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना अनु० जाति एवं
अनु० जनजाति कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

8- इस प्रस्ताव पर सं०सं०-3/निदे०(छात्रावास/संघा०) 66-15/2018 के पृ०-59
/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

9- इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

10- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

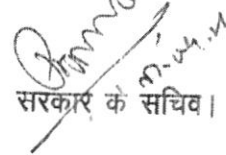
सरकार के सचिव

झापांक-3/निदेश(आवास/समा) 66-15/2018 168 पटना, दिनांक-08/10/2026
प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त
विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

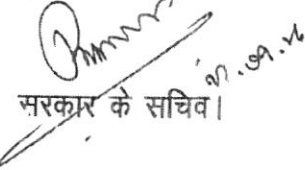
(4) आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/निदेशक, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण
विभाग/जिला पदाधिकारी, नवादा/उप विकास आयुक्त, नवादा/उप निदेशक कल्याण, मगध
प्रमंडल, गया/जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल,
गयाजी/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु० जाति
एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु०
जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

विवरणी

क्रमांक	कार्य का नाम	तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि
1	डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, रजौली, नवादा में चहारदिवारी की ऊंचाई में वृद्धि एवं Concertina Coil लगाने, रंग-रोगन एवं अन्य कार्य।	₹42,10,100
	Total	₹42,10,100

(बयालिस लाख दस हजार एक सौ रु०)


सरकार के सचिव।